

दलित अभिजनों में व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन

Study of Occupational Mobility Among Dalit Elites

Paper Submission: 05/01/2020, Date of Acceptance: 15/01/2020, Date of Publication: 20/01/2020

सारांश

सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्पत्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। सम्पत्ति अर्जित करने की यही प्रक्रिया जो निरन्तर चलती रहे, व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय से व्यक्ति की आय का स्रोत एवं मात्रा निर्धारित होती है। इसलिये यह आवश्यक रूप से व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों, विचारों, व्यक्तित्व तथा जीवन-शैली को निश्चित करता है। भले ही व्यक्ति सम्पत्ति के लिये, जिसे व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी आधुनिक समाजों में व्यवसाय केवल जीविकोपार्जन के लिये धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि शक्ति, पद और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है।

In general, every person tries to acquire wealth to fulfill his various needs. This process of earning wealth which continues continuously is called business. Business determines the source and amount of income of a person. Therefore it essentially determines the social values, thoughts, personality and lifestyle of the individual. Even though a person may not be able to separate wealth from business, yet in modern societies, occupation is not only more important than earning money to earn a living, but also a symbol of power, position and prestige. मुख्य शब्द : दलित अभिजन, व्यावसायिक गतिशीलता।

Keyword: Dalit Elite, Occupational Mobility. प्रस्तावना

व्यवसाय केवल जीविकोपार्जन के लिये धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि शक्ति, पद और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मैकलैण्ड के अनुसार व्यक्ति की व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएँ, उसकी उपलब्धि एवं पूर्वाभिमुखता जो आधुनिकीकरण का एक अंग है, को भी निर्धारित करती है। प्रस्तुत शोध पत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जनपद से सम्बन्धित है। अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जनपद में दलित अभिजनों में व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन करना है। व्यावसायिक गतिशीलता का अर्थ

व्यवसाय अपेक्षाकृत निरन्तर क्रियाकलापों का वह सामाजिक स्तर है, जो किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन प्रदान करता है, तथा साथ-साथ उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। यहाँ व्यावसायिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य है- एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय ग्रहण करना। एक व्यावसायिक प्रस्थिति को छोड़कर दूसरी उच्च व्यावसायिक प्रस्थिति प्राप्त कर लेना अथवा एक कार्य समूह से दूसरे कार्य समूह समूह में शामिल हो जाना। अतः व्यावसायिक गतिशीलता दो स्तरों पर स्पष्ट की जा सकती है -

1. व्यवसाय के भीतर गतिशीलता, (अंतः व्यवसाय)
2. व्यक्ति की एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में गतिशीलता (अंतर व्यवसाय)

इन दोनों प्रकार की गतिशीलता में स्थान परिवर्तन, कार्य, आय, सम्मान, शक्ति, स्वतन्त्रता तथा अन्य गतिमान गुण समाहित रहते हैं। एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्यात्मक गतिशीलता निरन्तर बढ़ती रहती है, इसका मापन एक व्यक्ति के जीवन समय के कार्यों, जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ आती हैं, किया जा सकता है। भारतीय समाज प्राचीन काल से ही अत्यधिक स्थिर, रूढ़ एवं यथा स्थितिवादी रहा है। लेकिन वर्तमान में संचार साधनों के विस्तार, शिक्षा में वृद्धि, यातायात एवं परिवहन साधनों का तेजी से विस्तार जैसे अनेक कारणों से गतिशीलता में वृद्धि हुई है तथा हिन्दू समाज को निम्नतम वर्ग 'दलितों' में भी व्यावसायिक गतिशीलता दिखाई देने लगी है। व्यावसायिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए कई दृष्टियों से विचार किया जाता है। दलित अभिजन तथा व्यावसायिक गतिशीलता

प्रस्तुत शोध पत्र में उन तत्त्वों का विश्लेषण किया गया है, जो व्यावसायिक गतिशीलता को समझने में सहायक हैं। इन तत्त्वों में अभिजनों के पितामह एवं पिता का व्यवसाय, शिक्षा तथा सम्पत्ति की तुलनात्मक विवेचना के साथ-साथ अभिजनों की अपने बच्चों के व्यवसाय एवं शिक्षा से सम्बन्धी आकांक्षाओं की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है। इस सम्पूर्ण विश्लेषण से यह पता लगाने का प्रयास किया है कि दलित अभिजनों में अन्तरपीढ़ीय व्यावसायिक गतिशीलता किस प्रकार की

स्वामी प्रसाद

प्राध्यापक

समाजशास्त्र

राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय

हमीरपुर, उ०प्र०,

भारत

सुमन देवी

शोधार्थिनी

नार्थ ईस्ट फ्रण्टियर

टेक्निकल युनिवर्सिटी

आलो,

अरूणाचल प्रदेश,

भारत

है? इससे यह भी स्पष्ट होगा कि अभिजनों में भविष्य के प्रति किस प्रकार की आशा विद्यमान है? अभिजन जिस पद पर कार्यरत है, उस पद से एवं उसकी आमदनी से संतुष्ट हैं या नहीं? यदि नहीं तो भविष्य में वे किस प्रकार के व्यवसाय (पद) में कार्य करना चाहते हैं? व्यवसाय

भारतीय समाज में परम्परागत रूप से जाति एवं व्यवसाय में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। चारों वर्णों के अनुसार पृथक-पृथक व्यवसायों का निर्धारण किया गया है एवं आगे चलकर व्यावसायिक भिन्नता के कारण अनेक जातियों एवं उपजातियों का जन्म हुआ। लेकिन बाद में जिन गन्दे, अस्वच्छ एवं घृणित व्यवसायों को अस्पृश्यों के लिये अनिवार्य बना दिया, प्रारम्भ में ऐसी अनिवार्यता नहीं थी। अर्थात् जाति अपने उद्गम से व्यावसायिक नहीं है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें अनेक जातियों के सदस्य एक ही व्यवसाय करते थे। बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परम्परागत व्यवसाय था और इसलिये वही उस जाति के सदस्यों का वंशानुगत एवं जन्म-जात व्यवसाय निर्धारित हो गया। इस व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय की खोज में त्याग देना यदि पापपूर्ण नहीं तो कम से कम अनुचित अवश्य समझा जाता था।

व्यवसाय का वर्गीकरण करना अत्यन्त कठिन कार्य है, क्योंकि व्यवसायों की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है तथा कभी-कभी एक व्यक्ति एक साथ कई व्यवसाय करता है। उदाहरण के लिये एक कृषक कृषि के साथ-साथ व्यापार भी करे अथवा अपने परम्परागत व्यवसाय के साथ-साथ कोई शिष्ट व्यवसाय भी। इसके अलावा व्यवसाय की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं होती है, अर्थात् व्यक्ति समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुरूप व्यवसाय परिवर्तित करता रहता है। यहाँ व्यवसायों को निम्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत करके व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया गया है।

पिता का व्यवसाय

एक प्रसिद्ध कहावत है कि "वैद्य का बेटा वैद्य ही होता है।" पिता का व्यवसाय व्यक्ति के पद और प्रस्थिति में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बच्चे सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक समय अपने पिता के व्यवसाय के सम्पर्क में ही रहते हैं। यह व्यवसायिक समाजीकरण तथा मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक उन्नति के आधार पर अभिजनों के विचारों, मनोवृत्तियों एवं शैक्षणिक स्तर का अर्थपूर्ण मूल्यांकन किया जा सकता है।

(1) परम्परागत व्यवसाय

दलितों से सम्बन्धित व्यवसाय से तात्पर्य उन व्यवसायों से है जिन्हें प्रायः घृणित, अस्वच्छ एवं हीन माना जाता है तथा इन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को अस्पृश्य समझा जाता है। इन व्यवसायों में चर्मकार, सफाईकर्मी या मेहतर, बंधुआ मजदूर या श्रमिक, चौकीदार आदि शामिल हैं।

(2) शिष्ट व्यवसाय

शिष्ट व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसायों से है जो कि परम्परागत एवं घृणित व्यवसायों से अलग हैं तथा जिन्हें समाज में सम्मान-सूचक दृष्टि से देखा जाता है, यथा- प्रशासक, राजनेता, लिपिक, ठेकेदार, कृषक, शिक्षक व चपरासी आदि।

(3) पेशेवर व्यवसाय

पेशेवर व्यवसाय में चिकित्सक एवं अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

(4) बौद्धिक व्यवसाय

कुछ व्यवसायों को बौद्धिक वर्ग में रखा गया है, जिनमें विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक, न्यायाधीश, वकील, लेखक, कवि, एवं पत्रकार शामिल हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता

व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने की प्रक्रिया व्यावसायिक गतिशीलता को सूचित करती है। यह व्यावसायिक परिवर्तनशीलता वर्तमान व्यवसाय से निम्न अथवा उच्च दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि एक ब्राह्मण 'अध्ययन-अध्यापन' के व्यवसाय को त्यागकर कृषि या व्यापार करता है तो यह 'क्षैतिजीय गतिशीलता' को इंगित करती है, दूसरी ओर यदि एक दलित वर्ग का सदस्य सफाई, चर्मकार आदि के व्यवसाय को त्यागकर कृषि, शिक्षक या ठेकेदारी का व्यवसाय करता है, तो यह 'ऊर्ध्वीय गतिशीलता' कहलाती है। अपनी जाति के लिये निर्धारित व्यवसाय से उच्च व्यवसाय में प्रविष्ट होना व्यक्ति की ऊर्ध्व व्यावसायिक एवं सामाजिक गतिशीलता का मापदण्ड है। डा. राधाकमल मुखर्जी (1965), एस.सी. दूबे (1967), एम.एन. श्रीनिवास (1972) आदि ने अपने अध्ययनों के आधार पर इस बात का संकेत दिया है कि निम्न जातियों में परम्परागत व्यवसाय त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ अन्य अध्ययनों, यथा- सच्चिदानन्द (1977), अंबासायलू (1978), राय तथा सिंह (1987), एस. शैल्वानार्थन (1989), रवि प्रताप सिंह (1989) आदि से भी यह स्पष्ट हुआ है कि दलितों में ऊर्ध्वीय गतिशीलता दिखाई दे रही है तथा यह अन्तरपीढ़ीय एवं अन्तःपीढ़ीय गतिशीलता दोनों रूपों में दिखाई दे रही है।

व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी गतिशीलता

क्रमांक	व्यवसाय	पिता	अभिजन
1	परम्परागत व्यवसाय	62 (41.33)	-
2	शिष्ट व्यवसाय	77 (51.33)	45 (30.00)
3	पेशेवर व्यवसाय	-	43 (28.67)
4	बौद्धिक व्यवसाय	-	62 (41.33)
5	उल्लेख नहीं	11 (7.34)	-
	योग	150 (100.00)	150 (100.00)

विश्लेषण से स्पष्ट है कि हमीरपुर में अभिजनों की तीन पीढ़ियों में परम्परागत व्यवसाय को त्यागने तथा शिष्ट व्यवसाय अपनाने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। अभिजन स्तर पर परम्परागत व्यवसाय का प्रतिशत शून्य है जबकि शिष्ट व्यवसाय में 30 प्रतिशत पेशेवर व्यवसाय में 28.67 प्रतिशत एवं दलित 41.33 प्रतिशत अभिजन बौद्धिक व्यवसाय में हैं। अतः आंकड़ों से स्पष्ट है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता परिलक्षित हो रही है।

वर्तमान पद व्यवसाय एवं आमदनी के प्रति अभिजन दृष्टिकोण

पद व्यवसाय की प्रकृति प्रमुख रूप से व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों, व्यक्तित्व, विचारों एवं जीवन शैली को निर्धारित करती है। व्यक्ति का अधिकांश समय व्यावसायिक क्रियाकलापों में ही व्यतीत होता है। दलित

वर्तमान पद की आमदनी के प्रति अभिजनों का दृष्टिकोण

क्रमांक	अभिजन श्रेणी	पूर्णतः संतुष्ट	संतुष्ट	असंतुष्ट	योग
1	शैक्षणिक	16 (28.57)	30 (53.57)	10 (17.85)	56 (100.00)
2	व्यावसायिक	10(20.40)	37 (75.51)	02 (04.08)	49 (100.00)
3	नौकरशाह	10 (28.57)	23 (67.71)	02 (05.71)	35 (100.00)
4	राजनैतिक	05(50.00)	04 (40.00)	01 (10.00)	10 (100.00)
	योग	41(27.34)	94 (62.66)	15 (10.00)	150 (100.00)

सारिणी में दलित अभिजनों का अपने वर्तमान पद की आमदनी के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रदर्शित आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 27.33 प्रतिशत अभिजन अपने वर्तमान पद की आमदनी से पूर्णतः संतुष्ट, 62.60 प्रतिशत संतुष्ट एवं 10.00 प्रतिशत असंतुष्ट हैं। अभिजन श्रेणीवार तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आमदनी से पूर्णतः संतुष्ट अभिजनों में शैक्षणिक 20.57 प्रतिशत, व्यावसायिक 20.40 प्रतिशत, नौकरशाह 28.57 प्रतिशत एवं राजनैतिक अभिजन 50.00 प्रतिशत हैं। 53.57 प्रतिशत अभिजन शैक्षणिक, 75.51 व्यावसायिक, 67.71 प्रतिशत नौकरशाह एवं 40.00 प्रतिशत राजनैतिक अपनी वर्तमान

अभिजनों का परम्परागत व्यवसायों के प्रति पूर्णतः नकारात्मक रुख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश के विधानमण्डलीय अभिजनों से सम्बन्धित सिंह के अध्ययन में विधायकों ने स्वीकार किया है कि "आदर्श व्यवसाय वह है जो प्रतिष्ठा में वृद्धि करे एवं जो व्यवसाय पैसा कमाने की दृष्टि से भी अच्छा हो।" व्यवसाय के प्रति संतुष्टि व्यावसायिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिकों तथा श्रम अर्थशास्त्रियों ने कार्य पसन्दगी में संतुष्टि के आर्थिक तत्वों पर विशेष बल दिया है। वाटसन (1939) तथा हाउजर (1940) ने अपने अध्ययनों में आर्थिक साधनों द्वारा प्राप्त संतुष्टि का अनुभव किया है और पाया है कि निम्न आय वालों की अपेक्षा अधिक आय वाले व्यक्ति ज्यादा संतुष्ट रहते हैं।

आमदनी से संतुष्ट हैं। असंतुष्ट अभिजनों में 17.85 प्रतिशत शैक्षणिक, 04.08 प्रतिशत व्यावसायिक 05.71 प्रतिशत नौकरशाह एवं 10.00 प्रतिशत राजनैतिक अभिजन हैं।

सारिणी संख्या 8.3 में अभिजनों के वर्तमान पद एवं उनकी आमदनी से संतुष्टि सम्बन्धी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 34.66 प्रतिशत अभिजन अपने वर्तमान पद से एवं 27.33 प्रतिशत आमदनी से पूर्णतः संतुष्ट हैं। 53.33 प्रतिशत अभिजन अपने एवं 62.66 प्रतिशत आमदनी से संतुष्ट हैं जबकि 12.00 प्रतिशत

अभिजन पद एवं 10.00 प्रतिशत पद की आमदनी से असंतुष्ट हैं।

पद एवं आमदनी सम्बन्धी दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण

क्रमांक	अभिजनों की राय	पद	आय
1.	पूर्णतः संतुष्ट	52 (34.66)	41 (27.33)
2.	संतुष्ट	80 (53.33)	94 (62.66)
3	असंतुष्ट	18 (20.00)	15 (10.00)
	योग	150 (100.00)	150 (100.00)

असंतुष्ट अभिजनों की आकांक्षा

कुल 150 अभिजनों में से 18 अपने वर्तमान पद एवं 15 पद की आमदनी से असंतुष्ट हैं। इसी वजह से यहाँ यह उल्लेख किया जा रहा है कि उक्त असंतुष्ट अभिजनों की क्या आकांक्षा है?

1. शैक्षणिक अभिजन

पद एवं आय से सर्वाधिक असंतुष्ट अभिजन 56 में से 10 शैक्षणिक श्रेणी के हैं। 10 में से 4 महाविद्यालयी व्याख्याता प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक हैं। दो अभिजनों में समाज सेवा की अपनी इच्छा व्यक्त की है लेकिन वर्तमान पद को समाज सेवा में बाधक मानते हैं। इसी प्रकार से दो अन्य अभिजन राजनीति में प्रवेश कर सांसद या विधायक निर्वाचित होना चाहते हैं। एक महाविद्यालय प्राध्यापक ने अपने इसी व्यवसाय में रहते हुए विश्वविद्यालय शिक्षक बनने की इच्छा प्रकट की है तथा एक विज्ञान प्राध्यापक चिकित्सक बनना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी जिससे वे वर्तमान पद एवं आय से असंतुष्ट हैं।

2. व्यावसायिक अभिजन

कुल 49 व्यावसायिक अभिजनों में से 5 वर्तमान पद से एवं 4 पद की आमदनी से स्वयं को असंतुष्ट मानते हैं। इनमें से दो प्रशासनिक पदों पर जाना चाहते हैं तथा एक समाज सेवा के इच्छुक हैं। तीन व्यावसायिक अभिजन स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने के आकांक्षी हैं। तीन अभिजन अपने वर्तमान व्यवसाय में ही पदोन्नत होकर उच्च स्तर के पद प्राप्त करने के आकांक्षी हैं।

3. नौकरशाह अभिजन

नौकरशाही अभिजनों की श्रेणी में 35 में से केवल 2 अभिजन ही स्वयं को पद या आमदनी से असंतुष्ट बताते हैं। इनमें से एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तथा एक अन्य ने स्वयं के व्यवसाय की या व्यापार की इच्छा व्यक्त की है।

4. राजनैतिक अभिजन

10 राजनैतिक अभिजनों में से 4 स्वयं को असंतुष्ट बताया है जिनमें से एक अपने पद से एवं तीन पद की आमदनी से असंतुष्ट हैं। रोचक तथ्य यह है कि

चारों ही राजनेता असंतुष्ट होते हुए भी राजनीति को छोड़कर अन्य व्यवसायों में जाने के आकांक्षी नहीं हैं।

दलित अभिजनों में व्यावसायिक गतिशीलता सम्बन्धी इस अध्याय में समय सापेक्ष व्यावसायिक गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है। साथ ही अन्तः एवं अन्तर पीढ़ीय गतिशीलता की जानकारी के लिए पिता एवं अभिजनों की तीन पीढ़ियों के व्यवसाय, शिक्षा एवं सम्पत्ति का तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है। शिक्षा सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट है कि 28 प्रतिशत के पिता निरक्षर थे। स्वयं अभिजन एवं उनके बच्चे शत प्रतिशत शिक्षित हैं या शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी गतिशीलता सम्बन्धी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 41.33 प्रतिशत अभिजनों के पिता परम्परागत व्यवसाय से सम्बद्ध रहें हैं, जबकि अभिजन एवं उनके बच्चों की पीढ़ी में यह प्रतिशत शून्य है। इसी प्रकार से सम्पत्ति सम्बन्धी तीन पीढ़ियों के तथ्यों से भी ज्ञात होता है कि पिता से अभिजन की पीढ़ी में सम्पत्ति में बढोत्तरी का क्रम रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोयल, एस.के., द स्टडी ऑफ़ डिड्युल्ड कास्ट स्टूडेंट्स ऑफ़ कॉलेज इन ईस्टर्न यू.पी., रिसर्च प्रोजेक्ट स्पान्सर्ड
2. बाई आई.सी.एस.एस.आर., न्यू देहली, 1973-74, डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, पृ.116
3. मैकलेण्ड, सी.देवी., द एचिविंग सोसायटी, न्यूयार्क, द फ्री प्रेस ऑफ़ ग्लेन्को, 1961, पृ. 29
4. सिंह, रवि प्रताप, दलित वर्ग के विधानमण्डलीय अभिजन, दिल्ली, मिततल पब्लिकेशन्स, 1989, पृ. 123-124
5. अम्बेडकर, बी.आर., अछूत कौन और कैसे? भद्रन्त आनन्द कौसल्यान (अनुवादक), लखनऊ, कल्चरल पब्लिशर्स, 1990, पृ.82
6. धुर्यो, जी.एस., कास्ट, क्लास एण्ड आक्यूपेशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1961, पृ. 215
7. गोयल, एस.के., 1973-74, इबिद, पृ. 116